न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।

वाद संख्या– एम0–52/2018
धारा–107 द0प्र0सं0
भोलानाथ सिंह मुण्डा वगैरह..... प्रथम पक्ष
बनाम
मो0 हेमलता देवी वगैरह..... द्वितीय पक्ष

तिथि–	आदेश
14/12/2018	प्रस्तुत वाद राहे ओ0पी0 जिला राँची के अप्राथमिकी संख्या– 17/18 दिनांक– 24/04/18 स0अ0नि0 के प्रस्तुत प्रतिवेदन के तहत धारा 107 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रारंभ की गई। यह विवाद मिट्टी के दिवार तोड़ने को लेकर उत्पन्न हुआ है जिसे दोनों पक्ष अपना–अपना बता रहें है। वाद में उभय पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। जिसमें एक दुसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। प्रथम पक्ष के स्वतंत्र गवाह सुसांत कुमार सिंह पिता–रघुनाथ सिंह ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि भोला सिंह और हेमलता देवी भाई–बहन है। जमीन का रसीद भोला सिंह के नाम से कटता है। हेमलता देवी 40 वर्ष पहले से भोलानाथ सिंह के घर में रहती है। अभी भी वही रहती है।उभय पक्ष के बीच में जब झगड़ा हुआ उस समय मैं सामने नहीं था।झगड़ा के विषय में भोलानाथ सिंह ने बताया था। 15 नवम्बर 2017 से 24 सितम्बर 2018 तक उभय पक्ष में मार–पीट हुआ है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह भोलानाथ सिंह ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जिस जगीन पर मै दिवाल खड़ा कर रहा था वो जगीन मेरा है। हमलोग तीन भाई–बहन है बंका सिंह, भोला सिंह और हेमलता देवी। बंका सिंह अभी जिंदा नहीं है। एक पुत्री है जिसकी शादी देवघर में हुई है। बंका सिंह के जमीन का देख–रेख मै करता हूँ। द्वितीय पक्ष स्वतंत्र गवाह सुरेन्द्र मिश्रा, पिता– नागेश्वर मिश्रा, ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि दोनों भाई–बहन के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। विवादित जमीन पर हेमलता देवी जन्म से रहती है हेमलता देवी का शादी गाँव में ही हुआ था। हेमलता को उनके पिताजी के द्वारा मौखिक रूप से जमीन दिया गया था। लगभग 6 डी0 जमीन में उनका दखल है। उभय पक्ष में लड़ाई–झगड़ा या मार–पीट होते मैनें नहीं देखा है। दोनों पक्ष शांतिपूर्वक रहते है। भोलानाथ सिंह के हिस्सा में गिरा हुआ मकान नहीं है। यह बात झूठ है कि गिरा हुआ दिवाल को भोला सिंह मरम्मत कर रहा था और विपक्षी लड़ाई–झगड़ा किए।

द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह हेमलता देवी ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि भोला सिंह मेरा छोटा भाई है। मेरे पिताजी ने जो जमीन मुझे दिया है उसमें भोला सिंह दिवाल खड़ा कर रहा था। तब मैं मना की तो केस किया। एक साल से उभय पक्ष में लड़ाई– झगड़ा या मार–पीट नहीं हुआ है अभी मेरे भाई से मेरा बातचीत नहीं होता है और न कुछ लेन–देन होता है।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, पुलिस प्रतिवेदन, गवाहों के बयान एवं विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुनने से यह प्रतीत होता है कि पैतृक भूमि पर दावे को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ। वर्त्तमान में शांतिव्यवस्था कायम है तथा शांति भंग होने की संभावना की पुष्टि नहीं हो पाई है। अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

१५/१२/१८

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)।

१५/१२/१८

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)।

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:40:59 +05:30
Location: 192.168.43.107